भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 239
(30 नवंबर, 2021 को उत्त2र दिए जाने के लिए)

पंचायत स्तर पर ग्रामीण विकास योजनाएं

239. श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्य प्रदेश में पंचायत स्तर पर चलाई जा रही ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश में पंचायत स्तर पर चलाई जा रही नई ग्रामीण विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या आकांक्षी जिलों में कोई विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं तथा यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तरर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सहित देश में अलग-अलग कार्यक्रम और योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। ये योजनाएं राज्य/जिला/ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित की जा रही हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही मुख्य योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) , प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) , प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) , दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण

आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) , दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) , राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) कार्यान्वित कर रहा है।

(i i) ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) मध्य प्रदेश सहित 28 राज्यों (गोवा को छोड़कर) में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के वॉटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) का कार्यान्वयन कर रहा है , जो मुख्यत: कुल कृषि क्षेत्र के वर्षा सिंचित क्षेत्र और कृषि योग्य बंजर भूमि का विकास करना है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए उपुर्यक्त योजनाएं/कार्यक्रम मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। तथापि , इस मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में पंचायत स्तर पर कोई अन्य नई ग्रामीण विकास योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(ग): आकांक्षी जिले कार्यक्रम में 26 राज्यों और 01 संघ राज्य क्षेत्र के 112 जिले शामिल हैं , जिन्होंने सामाजिक आर्थिक मानदंडों में सापेक्ष रूप से कम प्रगति दर्शाई थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय, राज्य और जिला प्रशासन की मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों में तालमेल स्थापित करना है, क्योंकि यह कार्यक्रम एक अतिरिक्त स्वरूप का है। इस कार्यक्रम के तहत 5 क्षेत्रों स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास तथा बुनियादी ढांचे के तहत 49 प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतक निर्धारित किए गए हैं।

चूंकि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निजी वित्तपोषण व्यवस्थाओं वाली केंद्रीय , राज्य और जिला प्रशासनों की मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों में तालमेल स्थापित करना है अत: इस कार्यक्रम के तहत भारी मात्रा में अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए और अनिवार्य निधि की समस्या का समाधान करने के लिए अपने मासिक क्रमिक प्रगति के आधार पर अच्छी रैंक प्राप्त करने वाले जिलों के लिए अतिरिक्त निधियों के आवंटन की व्यवस्था की गई है। मासिक आधार पर सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन करने वाले जिले को 10 करोड़ रुपये तक , सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन में दूसरे क्रमांक पर आने वाले जिले को 5 करोड़ रुपये और 5 क्षेत्रों में अच्छा कार्यनिष्पादन करने वाले प्रत्येक जिले को 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त होता है।

*****